



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1678) पटना, वृहस्पतिवार, 16 अक्टूबर 2025

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0-58/2024-873(पें०)/वि0,
बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव(सं0) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक 16 अक्टूबर 2025

विषय :- सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के पेंशन प्रपत्र के साथ जाँच पत्रक
भरकर महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को प्राप्त त्रुटिपूर्ण पेंशन प्रपत्र के मामलों को संबंधित कार्यालय/विभाग को वापस कर दिया जाता है । इस कारण सेवान्त लाभों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है । महालेखाकार कार्यालय के अनुरोध पर इस बिन्दु पर कार्रवाई हेतु सभी विभागों/कार्यालयों का ध्यान आकृष्ट किया गया है तथापि त्रुटिपूर्ण पेंशन प्रपत्र को वापस किये जाने के मामले अभी भी दृष्टिगत हो रहे हैं ।

2. महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त होने वाले पेंशन प्रपत्र में त्रुटियों के निराकरण हेतु एक जाँच पत्रक निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के पेंशन प्राधिकार में अनावश्यक विलम्ब न हो सके । इस हेतु एक जाँच

पत्रक तैयार किया गया है, जिसे भरकर अनिवार्य रूप से पेंशन प्रपत्र के साथ संलग्न कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

3. अतः अनुरोध है कि संलग्न जाँच पत्रक को पेंशन प्रपत्र के साथ भरकर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
जय सिंह,
सचिव(सं०)।

महालेखाकार कार्यालय को पेंशन प्रपत्र के साथ प्रेषित किया जाने वाला जाँच पत्रक

1.	कर्मि/पदाधिकारी का नाम	
2.	पदनाम	
3.	अंतिम पदस्थापन स्थल(कार्यालय/विभाग)	
4.	नियुक्ति की तिथि	
5.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
6.	कुल सेवावधि	
7.	पेंशन प्रदायी सेवावधि	
8.	अंतिम मूल वेतन	
9.	अंतिम 10 माह का औसत वेतन	
10.	सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व के वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वेतन सत्यापन की स्थिति	
11.	अंतिम वेतन सत्यापन से सेवानिवृत्ति की तिथि तक वेतन की शुद्धता की जाँच की स्थिति	
12.	सेवा संपुष्टि की स्थिति	
13.	कार्यालय अभिलेख/वेतन विपत्र के आधार पर सेवा सत्यापन/निरंतरता की स्थिति	
14.	विभागीय अथवा अन्य विहित परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति	
15.	सेवानिवृत्ति की तिथि को विभागीय/न्यायिक कार्यवाही की स्थिति	
16.	पेंशन प्रपत्र के सभी कंडिकाएँ(विशेषतः पारिवारिक विवरण, मोबाईल नं०/यूनिक आईडी, रूपांतरण विकल्प इत्यादि) भरित है अथवा नहीं	
17.	LPC/No Dues Certificate संलग्न है अथवा नहीं	
18.	अन्य कोई अभ्युक्ति	

पेंशन स्वीकृति प्राधिकार का हस्ताक्षर/मुहर

जय सिंह,
सचिव(सं०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1678-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>